भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड/Railway Board)

सं.2017/सिक(सीसीबी)/210/स्थायी आदेश/108 नई दिल्ली दिनांक : 16/04/2021

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त/रेल सुरक्षा बल
सभी क्षेत्रीय रेलें, रेसुविबल, मेट्रो रेल/कोलकाता एवं केआरसीएल
सभी उत्पादन इकाइयां, कोर, निर्माण, अअमासं
निदेशक/जेआर आरपीएफ अकादमी, लखनऊ और
निदेशक/आरपीएफ प्रशिक्षण केंद्र, मौलाअली एवं खड़गपुर।

(सुरक्षा परिपत्र सं. 03/2021)

विषय: विशेष घटना रिपोर्ट का समापन करने के लिए दिशानिर्देश और पालन किए जाने वाली प्रक्रिया।

*****

रेल सुरक्षा बल क्राइम मैनुअल के अध्याय 4 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, ऐसी विशेष घटना रिपोर्ट (एसओआर) मामलों में, जिनमें माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, निरीक्षक आरोप पत्र प्रस्तुत किए जाने की सूचना वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त को देगा जो फिर प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त (पीसीएससी) से इस मामले को बंद करने के लिए अनुमति मांगेगा। पीसीएससी, महानिदेशक/रेसुब को एसओआर बंद करने की सूचना देते हुए वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त/मंडल सुरक्षा आयुक्त को एसओआर बंद करने की अनुमति दे सकता है।

हालांकि क्षेत्रीय रेलों द्वारा एसओआर मामले बंद करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया में कुछ असंगतियां देखी गई हैं। उक्त को सरल बनाने के लिए निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया जाता है :-

विशेष घटना रिपोर्ट के सभी मामलों में, जांच एजेंसी द्वारा संबंधित माननीय न्यायालय में एक बार आरोप पत्र/अंतिम रिपोर्ट दाखिल किए जाने के बाद, इसके बारे में "समापन रिपोर्ट" के माध्यम से रेलवे बोर्ड को सूचित किया जाए और निम्नलिखित मामलों के अतिरिक्त ऐसे मामलों में इसके आगे की प्रगति रिपोर्ट बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी :-

क) जहां रेसुब कर्मी/रेल कर्मचारियों की संलिप्तता पाई जाती है :- न्यायिक मामले और अनुशासन एवं अपील नियमों के अंतर्गत विभागीय कार्यवाही के समाप्त हो जाने तक ऐसे मामलों की प्रगति रिपोर्ट जारी रखी जाएगी।

ख) जहां रेसुब कर्मी/रेल कर्मचारियों पर हमला हुआ हो अथवा ऐसे मामले जिनकी सीबीआई या इसके जैसी एजेंसियों जैसे एनआईए, ईडी आदि द्वारा जांच की जा रही हो :- माननीय न्यायालय द्वारा अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किए जाने तक यदि आरोप पत्र और अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जाती है तो माननीय न्यायालय में आपराधिक मामलों को अंतिम रूप दिए जाने तक मामले की प्रगति रिपोर्ट जारी रखी जाए।

ग) (क) और (ख) में उल्लिखित मामलों में से, जहां स्वीकृत अंतिम रिपोर्ट को माननीय न्यायालय के निदेशों पर पुन: खोला गया हो, ऐसे मामले का संपूर्ण ब्यौरा विशिष्ट टिप्पणियों सहित बोर्ड कार्यालय को भेजा जाए और न्यायालय में पुन: खोले गए मामले को अंतिम रूप दिए जाने तक इसकी प्रगति की सूचना रेलवे बोर्ड को दी जाए।

सभी संबंधित उपरोक्त अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

22/4/2021

(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रेसुब